बोफोर्स, गांधी परिवार और क्वात्रोच्चि

प्रश्नकाल

प्रभात कुमार रॉय

इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मरहूम विन चड्डा के साहबजादे की अपील को खारिज करते हुए एक शानदार हुक्म सुनाया। यह अपील उसने इनकम टैक्स विभाग द्वारा मरहूम विन चड्डा की वर्ष 1987-88 और 1988-89 की आमदनी के आकलन पर आयद टैक्स 52 करोड़ 85 लाख रकम के दावे के विरुद्ध की थी। इस निर्णय के अनुसार 41 करोड़ की रकम बोफोर्स तोप सौदे के दलाल विन चड्डा और इतालवी बिजनेस मैन अटावियो क्वात्रोच्चि को बतौर इनकम टैक्स जमा कराने होंगे। ट्रिब्यूनल ने 1437 करोड़ के बोफोर्स तोप सौदे में हासिल हुई कमीशन की रकम को खुर्द बुर्द करने का तथ्य सामने रखा और बयान किया कि बतौर कमीशन की 32 करोड़ 66 लाख रकम मैसर्स सवैंसका कंपनी पनामा के नाम जमा की गई, जोकि वस्तुतः मरहूम विन चड्डा का स्विस बैंक खाता था। इसी तरह से बोफोर्स तोप डील के कमीशन के तौर पर 8 करोड़ 57 लाख की रकम ए इ सर्विसेज लिमिटेड के नाम पर की जमा

की गई, जोकि अटावियो क्वात्रोच्चि का स्विस बैंक का खाता था।

बोफोर्स तोप कमीशन केस के एक फरार मुलजिम क्वात्रोच्चि का गहन संबंध पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी और मैडम सोनिया गांधी के साथ रहा। ऐसे समय में जबकि सत्तानशीन कांग्रेस पार्टी चारो ओर से जबरदस्त घोटालों के घेरों में घिरी हुई है, ऐसे वक्त ही इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसले ने बोफोर्स तोप घोटाले के सोए हुए भूत को फिर से सक्रिय कर दिया है। राजीव गाँधी ने 1984 में जब केंद्रीय सत्ता संभाली थी, उस वक्त उन्हें मिस्टर क्लीन कहकर संबोधित किया गया था। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संभवतः वह पहले शख्स थे, जिन्होने कि सत्ता के दलालों के विषय में अपने प्रखर और बेहद बेबाक विचार राष्ट्र के समक्ष पेश किए और कहा कि सार्वजनिक धन का केवल 15 फीसदी पैसा जनमानस के लिए खर्च होता है और बाकि 85 फीसदी को सत्ता के दलाल बीच में खा जाते हैं। ऐसे ईमानदार प्रखर राजनेता पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली खाने के इल्जाम आयद किए गए। शक की सुई आखिरकार राजीव की ओर क्योंकर घूम गई थी।

इसका सबसे अहम कारण मैडम सोनिया के निकटवर्ती इतालवी बिजनेसमैन अटावियो क्वात्रोच्चि का राजीव गाँधी के घर में बेरोकटोक आवागमन था, जो कि बोफोर्स तोप सौदे में एक दलाल की भूमिका में था। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के लेनदेन के सूत्र उजागर होते ही संसद में जोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि इसमें राजीव गाँधी पर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली की रकम लेने का सीधा इल्जाम आयद किया गया।

संसद में राजीव ने कहा कि वह और उनका परिवार किसी तरह भी बोफोर्स तोप स्कैंडल में शामिल नहीं हैं। विपक्ष ने बोफोर्स केस की जांच के लिए जेपीसी (ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी) की मांग की। राजीव सरकार ने विपक्ष की इस मांग को ठुकरा दिया। राजीव ने विपक्ष की जेपीसी गठन की मांग ठुकरा कर इतिहास की भयंकर भूल अंजाम दी। यदि उस वक्त राजीव गाँधी बोफोर्स स्कैंडल की जेपीसी द्वारा जांच करा लेते, तो यकीनन शक की सुई के ऐतिहासिक शिकार कदाचित नहीं बनते। यह तथ्य तो अब बाकायदा सामने आ ही गया कि राजीव गाँधी का बोफोर्स तोप सौदे की दलाली से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। क्वात्रोच्चि का ताल्लुक मैडम सोनिया से अवश्य ही था, अतः राजीव गाँधी बोफोर्स स्कैंडल को लेकर शक के घेरे में आ गए। इसी शक का भरपूर फायदा राजीव गाँधी के मुखालिफों ने जोरदार ढंग से उठाया। बोफोर्स स्कैंडल के साए में संपन्न हुए 1989 के आम चुनाव में राजीव गाँधी की पराजय हुई।

राजीव के राजनीतिक अपरिपक्वता का ही परिणाम रहा कि वे 1989 में अपना अगला चुनाव हार गये। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के तहत क्वात्रोच्चि को मुलजिम करार दिया, किंतु केंद्र में कॉंग्रेस हुकूमत के दौर में क्वात्रोच्चि को भारत से भाग जाने दिया गया। यह समस्त काला कारनामा किसके इशारे पर अंजाम दिया गया। इस सारे घटनाक्रम में शक की सुई यकीनन सोनिया की तरफ घूम जाती है, जोकि कॉंग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा रही हैं। क्वात्रोच्चि यदि सीबीआई की गिरफ्त में आ गया होता तो बहुत से राजफाश हो गए होते।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission